Drishti IAS

अक्तूबर 2024 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार

- बिहार का वार्षिक बाढ़ संकट 3
- महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 के लिये लोगो और शुभंकर 4
- बुनियादी संकेतकों में बिहार की प्रगति 5
- शास्त्रीय भाषा मैथिली की मांग 6
- ज़हरीली शराब त्रासदी 8
- रसेल वाइपर साँप 9
- चक्रवात 'दाना' का बिहार पर प्रभाव 10
- बिहार के भूमि सर्वेक्षण पर मिलीजुली प्रतिक्रिया 11

दृष्टि The Vision

नोट :

बिहार

बिहार का वार्षिक बाढ़ संकट

चर्चा में क्यों ?

बिहार को अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और **दशकों पुरानी बाढ़** नियंत्रण पद्धति के कारण प्रति वर्ष विनाशकारी **बाढ़** का सामना करना पड़ता है।

मुख्य बिंदु

- **बिहार की बाढ़-प्रवण प्रकृति**
  - बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, जहाँ **उत्तर बिहार की 76% आबादी प्रभावित** है।
  - यह क्षेत्र **वर्षा और हिमपात से उत्पन्न नदियों** से घिरा हुआ है, जिससे बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है।
  - बिहार **नेपाल के नीचे स्थित है, और हिमालयी नदियाँ (कोसी, गंडक, बागमती)** राज्य में बहती हैं।
  - इन नदियों में हिमालय की ढीली मृदा के कारण अत्यधिक मात्रा में तलछट होता है, जिसके कारण तीव्र वर्षा के दौरान ये उफान पर आ जाती हैं।

नोट :

- **तटबंधों का प्रभाव:**
  - बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये **1950 के दशक में कोसी** जैसी नदियों पर तटबंध बनाए गए थे।
  - तटबंधों के कारण नदी के मार्ग संकीर्ण हो गए, जिससे तलछट जमा हो गया और नदी तल ऊँचा हो गया, जिससे नदियों के अतिप्रवाह की संभावना बढ़ गई।
  - **कोसी,** जिसे **"बिहार का शोक"** कहा जाता है, तटबंधों के बावजूद प्रतिवर्ष बाढ़ आती है।
- **हालिया बाढ़ (2024):**
  - अत्यधिक वर्षा और नेपाल द्वारा **कोसी बैराज** से जल छोड़े जाने के कारण **उत्तर बिहार** में भीषण बाढ़ आ गई।
  - विभिन्न ज़िलों में तटबंध टूट गए हैं, **जिससे 11.84 लाख लोग प्रभावित** हुए हैं।
  - **बीरपुर बैराज** से **6.6 लाख क्यूसेक जल** छोड़ा गया, जो छह दशकों में सबसे अधिक है।
- **आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:**
  - बाढ़ के परिणामस्वरूप फसल की हानि, पशुधन विनाश, बुनियादी ढाँचे को नुकसान, तथा मज़बूरन पलायन होता है।
  - बिहार सरकार **बाढ़ राहत और प्रबंधन पर प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपए व्यय** करती है।
- **प्रस्तावित समाधान:**
  - **संरचनात्मक:** कोसी एवं अन्य नदियों पर बाँध एवं अतिरिक्त बैराज के प्रस्ताव।
  - **गैर-संरचनात्मक:** बाढ़ की चेतावनियों में सुधार, प्रतिक्रिया समय में सुधार, जन जागरूकता, तथा बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिये प्रशिक्षण।

महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 के लिये लोगो और शुभंकर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने **महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी**, 2024 के लिये **लोगो और शुभंकर (Logo and Mascot) का अनावरण किया, जो 11 नवंबर** से 20 **नवंबर, 2024 तक बिहार के राजगीर** में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- **शुभंकर अनावरण - 'गुड़िया':**
  - **महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 का** शुभंकर **"गुड़िया"** है, जो बिहार में युवा लड़कियों के लिये एक स्नेहपूर्ण शब्द है।
  - लुप्तप्राय प्रजाति, **घरेलू गौरैया** से प्रेरित होकर, यह शुभंकर **लचीलापन, शक्ति और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है** ।
  - गुड़िया का साहसिक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति खिलाड़ियों की **दृढ़ता और खेल कौशल को प्रदर्शित करती है, जो लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिये सशक्तीकरण और जागरूकता का प्रतीक है।**
- **लोगो डिज़ाइन:**
  - लोगो में **बोधि वृक्ष** को दर्शाया गया है, जो **विकास और लचीलेपन का प्रतीक है** तथा बिहार की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा है।
  - एक-दूसरे से संबंधित शाखाएँ एक एथलीट की यात्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अतीत और भविष्य के बीच का संबंध स्थापित करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बिहार की बढ़ती भूमिका को उजागर करती हैं।
- **महिला सशक्तीकरण और खेल अवसंरचना को बढ़ावा देना:**
  - यह टूर्नामेंट और इसके प्रतीकात्मक तत्त्व **महिला सशक्तीकरण** को बढ़ावा देने और राज्य के **खेल बुनियादी ढाँचे** को विकसित करने के बिहार के मिशन के अनुरूप हैं।
  - ऐसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी से बिहार की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित होता है तथा **स्थानीय प्रतिभा** और **खेल विकास** के लिये नए अवसर उत्पन्न होते हैं।

नोट :

महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी

- **महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी** एक **द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है जिसमें एशियाई हॉकी महासंघ** के सदस्य संघों की शीर्ष छह महिला राष्ट्रीय टीमें भाग लेती हैं।
- **मुख्य बातें:**
  - इस टूर्नामेंट में एशिया की **सर्वश्रेष्ठ छह महिला राष्ट्रीय टीमें शामिल हैं।**
  - **दक्षिण कोरिया ने** सबसे अधिक खिताब जीते हैं, उसने **तीन बार यह टूर्नामेंट जीता है**।
  - **भारत** और **जापान ने यह टूर्नामेंट दो-दो बार** जीता है।

बुनियादी संकेतकों में बिहार की प्रगति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **नीति आयोग** के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन के महत्त्वपूर्ण विकास क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया।

मुख्य बिंदु

- **शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रदर्शन:** बिहार **शिक्षा** और **स्वास्थ्य** जैसे बुनियादी संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और आशा है कि कुछ वर्षों में यह राष्ट्रीय मानकों के बराबर पहुँच जाएगा।
- **आकांक्षी/ एस्पिरेशनल ब्लॉक:** बेहतर **प्रशासन (गवर्नेंस)** और सेवा वितरण **आकांक्षी ब्लॉकों** को आकांक्षी ब्लॉकों में बदल रहे हैं।
- **प्रशासन में AI: बिहार नीति निर्माताओं और मध्य-कैरियर अधिकारियों के लिये AI-संचालित** निर्णय समर्थन प्रणाली लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है ।
- **BIPARD की भूमिका: बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) ने** डेटा-संचालित शासन, सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण और सहयोगात्मक नीति निर्माण पर केंद्रित तीन उन्नत प्रयोगशालाएँ शुरू की हैं।
- **BIPARD में नई प्रयोगशालाओं का परिचय :**
- **जेननेक्स्ट (GenNext Lab) लैब:** यह लैब प्रशासकों को डेटा-संचालित निर्णय लेने, पूर्वानुमान विश्लेषण और शासन अनुकूलन में प्रशिक्षित करने के लिये सुरक्षित **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** का लाभ उठाएगी।
- **नीति शाला लैब:** उन्नत सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग करके एक इमर्सिव लर्निंग वातावरण। प्रशिक्षु अपने **शासन कौशल** को बढ़ाने के लिये वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से जुड़ेंगे।
- **विकसित चिंतन कक्ष:** राज्य अधिकारियों के लिये महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर रणनीति बनाने और विचार-विमर्श करने हेतु एक सहयोगात्मक स्थान। **नीति सर्वसम्मति और प्रशासनिक सुधारों** को आगे बढ़ाने के लिये संचार और डेटा-साझाकरण उपकरणों से सुसज्जित।

नीति आयोग

- **पृष्ठभूमि:**
  - **1 जनवरी, 2015** को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था **नीति आयोग** की स्थापना की गई, जिसमें '**सहकारी संघवाद**' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना करने के लिये 'नीचे से ऊपर' दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया।
  - इसमें दो हब हैं:
  - टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
  - ज्ञान और नवाचार हब नीति आयोग के थिंक-टैंक कौशल का निर्माण करता है।

नोट :

- **संघटन:**
  - **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री
  - **उपाध्यक्ष:** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा
  - **गवर्निंग काउंसिल:** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
  - **क्षेत्रीय परिषद:** विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार करने के लिये, जिसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं।
  - **तदर्थ सदस्यता:** अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से पदेन क्षमता में दो सदस्य, चक्रानुक्रम पर।
  - **पदेन सदस्यता:** केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।
  - **मुख्य कार्यकारी अधिकारी:** भारत सरकार के सचिव के पद पर, एक निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - **विशेष आमंत्रित:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ।
- **उद्देश्य:**
  - राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह स्वीकार करते हुए कि दृढ़ राज्य ही दृढ़ राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
  - ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करने के लिये तंत्र विकसित करना तथा इन्हें सरकार के उच्चतर स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से इसके अधीन भेजा गया है, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।
  - हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न उठा पाने के जोखिम में हैं।
  - प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना और सलाह प्रदान करना।
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, व्यवसायियों और अन्य भागीदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण करना।
  - विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना।
  - एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना, सुशासन और सतत एवं समतामूलक विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का भंडार बनना तथा हितधारकों तक उनके प्रसार में सहायता करना।

शास्त्रीय भाषा मैथिली की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से **मैथिली** को **शास्त्रीय भाषा** का दर्जा देने की मांग की है, क्योंकि इस श्रेणी में कई अन्य भाषाओं को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **मान्यता प्राप्त भाषाएँ:** केंद्र सरकार ने हाल ही में **मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया** सहित कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है।
  - इससे पहले, **तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया** जैसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** मैथिली भाषा का साहित्यिक इतिहास लगभग **1,300 वर्ष** पुराना है और राज्य ने इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की है।

नोट :

- सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने **अगस्त 2018** में 11 सिफारिशें की थीं, जिनमें **मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषाओं** में शामिल करना भी शामिल था ।

- **शास्त्रीय भाषाओं को समझना:**
  - "**भारतीय शास्त्रीय भाषाएँ**" या "**सेम्मोझी (Semmozhi)**" शब्द उन भाषाओं को संदर्भित करता है जिनका लंबा इतिहास और समृद्ध साहित्यिक विरासत है। भारत में ग्यारह भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हैं:
    - **तमिल** (2004)
    - **संस्कृत** (2005)
    - **तेलुगु** (2008)
    - **कन्नड़** (2008)
    - **मलयालम** (2013)
    - **ओडिया** (2014)
    - **मराठी (2024)**
    - बंगाली (2024)
    - पाली (2024)
    - प्राकृत (2024)
    - असमिया (2024)
  - **शास्त्रीय भाषा की स्थिति का महत्त्व:** 1 नवंबर, 2004 के एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, शास्त्रीय भाषाओं की स्थिति का महत्व है, जिसमें शामिल हैं:
    - शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के विद्वानों के लिये वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
    - **शास्त्रीय भाषा अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्रों** की स्थापना।
    - **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,** केंद्रीय विश्वविद्यालयों से शुरुआत करते हुए, शास्त्रीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिये व्यावसायिक पीठों का निर्माण करेगा।
  - **किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड:** **संस्कृति मंत्रालय** के अनुसार, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड में शामिल होते हैं:
    - **भाषा की आयु:** भाषा का प्रलेखित इतिहास या प्रारंभिक ग्रंथ **1,500 से 2,000 वर्ष** पुराना होना चाहिये।
    - **सांस्कृतिक मूल्य:** इसमें प्राचीन साहित्य होना चाहिये जिसे इसके वक्ता अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हों।
    - **मौलिकता:** साहित्यिक विरासत मौलिक होनी चाहिये और अन्य भाषाओं से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिये।
    - **असंततता:** शास्त्रीय भाषा और उसके आधुनिक रूपों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिये, जो उसके विकास में संभावित असंततता को दर्शाता हो।

भाषा को बढ़ावा देने के लिये अन्य प्रावधान

- **आठवीं अनुसूची:** भाषा के निरंतर विकास और संवर्द्धन को प्रोत्साहित करना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं:
  - असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
- **अनुच्छेद 344 (1)** में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिये संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 351** में प्रावधान है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना संघ का कर्तव्य होगा।
- भाषाओं को बढ़ावा देने के अन्य प्रयास:
  - **प्रोजेक्ट अस्मिता:** **प्रोजेक्ट अस्मिता** का लक्ष्य पाँच वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है।

नोट :

- **नई शिक्षा नीति (NEP):** NEP नीति का उद्देश्य संस्कृत विश्वविद्यालयों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना है।
- **केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL):** यह संस्थान चार शास्त्रीय भाषाओं: कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया को बढ़ावा देने के लिये कार्य करता है।

ज़हरीली शराब त्रासदी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार में एक दुखद घटना में **ज़हरीली शराब** के सेवन से आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिससे **अवैध शराब के सेवन** के गंभीर परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- **ज़हरीली शराब (हूच) निर्माण प्रक्रिया:**
  - **अवैध या नकली शराब के रूप में भी जानी जाने वाली हूच,** आमतौर पर **गुड़ या अनाज जैसे** किफायती कच्चे माल को किण्वित और आसवित करके बनाई जाती है।
  - अक्सर, उत्पादन में तेज़ी लाने या क्षमता बढ़ाने के लिये **मेथनॉल** जैसे खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं। मेथनॉल कम मात्रा में भी घातक विषाक्तता उत्पन्न कर सकता है।
- **योगदान देने वाले कारक:**
  - बिहार में सख्त शराबबंदी कानून के बावजूद शराब का कारोबार तेज़ी से जारी है। शराबबंदी के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी और शराब की बढ़ती मांग के कारण शराब पीने की घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिये बेहतर विनियमन और पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं।
- **निषेध कानून:**
  - **बिहार में 2016 से बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016** के अंतर्गत शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। हालाँकि, कुछ कमियों और कमज़ोर प्रवर्तन के कारण अवैध व्यापार में वृद्धि हो रही है।
  - इस कानून में अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री में शामिल लोगों के लिये भारी जुर्माना और कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान है।

मेथनॉल

- मेथनॉल, जिसे रासायनिक रूप से CH_3OH के रूप में दर्शाया जाता है, एक सरल अल्कोहल अणु है जिसमें एक कार्बन परमाणु तीन हाइड्रोजन परमाणुओं और एक हाइड्रॉक्सिल समूह (OH) से आबंधित होता है।
- **विनियम:**
  - मेथनॉल को भारत में **खतरनाक रसायन निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989** की **अनुसूची I के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।**
  - **भारतीय मानक IS 517** निर्दिष्ट करता है कि मेथनॉल की गुणवत्ता कैसे निर्धारित की जानी चाहिये।
- **औद्योगिक उत्पादन:**
  - मेथनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से औद्योगिक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को **ताँबा और जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक** की उपस्थिति में संयोजित करके किया जाता है, आमतौर पर **50-100 atm** दबाव और लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर।
- ऐतिहासिक रूप से, मेथनॉल का उत्पादन लकड़ी के विनाशकारी आसवन के माध्यम से भी किया जाता था, यह विधि प्राचीन काल से ही जानी जाती थी, जिसमें प्राचीन मिस्र भी शामिल है।

नोट :

- **औद्योगिक उपयोग:**
  - मेथनॉल एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और विभिन्न सुगंधित हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। इसके रासायनिक गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से विलायक, एंटीफ्रीज और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है।
- **मानव शरीर पर प्रभाव:**
  - **चयाचपयी अम्लरक्तता (मेटाबोलिक एसिडोसिस):**
    - शरीर में मेथनॉल विषाक्त उप-उत्पादों में विभाजित हो जाता है, मुख्य रूप से फॉर्मिक एसिड। यह एसिड रक्त में शरीर के डेलिकेट pH बैलेंस को बाधित करता है, जिससे मेटाबोलिक एसिडोसिस (अत्यधिक एसिड का उत्पादन जिसे किडनी द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता) नामक स्थिति उत्पन्न होती है।
    - इससे रक्त अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे उसके ठीक से काम करने की क्षमता बाधित हो जाती है।
- **सेलुलर ऑक्सीजन की कमी:**
  - फॉर्मिक एसिड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एंजाइम में भी हस्तक्षेप करता है, जो सेलुलर श्वसन के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह कोशिकाओं की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और एसिडोसिस में और योगदान होता है।
- **दृष्टि दोष (विज़न इंपेयरमेंट):**
  - मेथनॉल ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे मेथनॉल-प्रेरित ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। यह स्थिति स्थायी दृष्टि समस्याओं, जिसमें अंधापन भी शामिल है, को जन्म दे सकती है।
- **मस्तिष्क क्षति:**
  - इससे सेरेब्रल एडिमा (मस्तिष्क में द्रव का जमाव) और रक्तस्राव (खून बहना) हो सकता है। इससे कोमा और मृत्यु हो सकती है।

रसेल वाइपर साँप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार में एक व्यक्ति ने सभी को चौंका दिया जब वह अस्पताल में उस खतरनाक साँप **(रसेल वाइपर)** के साथ आया, जिसने उसे काट लिया था।

मुख्य बिंदु

- **रसेल वाइपर:**
  - रसेल वाइपर (दबौया साँप) भारत के सबसे खतरनाक साँपों में से एक है। इसका ज़हर हेमोटॉक्सिक होता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव, मांसपेशियों को नुकसान और गुर्दे की विफलता हो सकती है।
  - यदि उपचार न किया जाए तो इस साँप के काटने से मृत्यु हो सकती है तथा इसके लक्षण गंभीर दर्द, सूजन और रक्तस्राव हो सकते हैं।
- **विष और प्रतिविष:**
  - **विष की संरचना:** रसेल वाइपर का विष रक्त के थक्के को बाधित करता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होता है।
  - **एंटीवेनम उत्पादन:** साँपों से विष निकाला जाता है, जानवरों (आमतौर पर घोड़ों) में इंजेक्ट किया जाता है, जो फिर एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। इन एंटीबॉडी को एंटीवेनम बनाने के लिये निकाला जाता है।
- **WPA, 1972 के तहत कानूनी संरक्षण:**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 *रसेल वाइपर* को **अनुसूची II के अंतर्गत** संरक्षित वन्यजीव के रूप में वर्गीकृत करता है ।
  - बिना अनुमति के इन साँपों को संभालना, पकड़ना या नुकसान पहुँचाना अवैध है।

नोट :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- अधिनियम में उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियाँ भी सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर पर संरक्षण और निगरानी प्रदान की जाती है।
- वन्यजीव अधिनियम, 1972 द्वारा **CITES (वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय)** में भारत का प्रवेश आसान बना दिया गया।
- इससे पहले, जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं आता था। पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।

चक्रवात 'दाना' का बिहार पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **चक्रवात 'दाना'** के कारण बिहार में मौसम के पैटर्न में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसके कारण कई ज़िलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- **प्रभावित ज़िले:** पटना, गया और अन्य आस-पास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है।
  - **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** ने संभावित बाढ़ के लिये तैयार रहने की चेतावनी देते हुए **येलो अलर्ट** जारी किया है ।
  - चक्रवात दाना **झारखंड और पश्चिम बंगाल** जैसे पड़ोसी राज्यों में भी मौसम की स्थिति को प्रभावित कर रहा है।
- **कलर कोडेड मौसम चेतावनी:**
  - यह IMD द्वारा जारी किया जाता है जिसका उद्देश्य गंभीर या खतरनाक मौसम से पहले लोगों को सचेत करना है जिससे नुकसान, व्यापक व्यवधान या जीवन को खतरा होने की संभावना होती है।
  - **IMD 4 रंग कोड का उपयोग करता है:**
    - **ग्रीन (सब ठीक है):** कोई सलाह जारी नहीं की गई है।
    - **येलो (सावधान रहें):** येलो कलर कई दिनों तक चलने वाले खराब मौसम को दर्शाता है। यह यह भी बताता है कि मौसम और भी खराब हो सकता है, जिससे दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यवधान आ सकता है।
    - **नारंगी/अंबर (तैयार रहें):** नारंगी अलर्ट अत्यंत खराब मौसम की चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है, जिससे सड़क और रेल मार्ग बंद होने से आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होने एवं विद्युत् आपूर्ति बाधित होने की संभावना रहती है।
    - **रेड (कार्यवाही करें):** जब अत्यंत खराब मौसम की स्थिति निश्चित रूप से यात्रा और विद्युत् को बाधित करने वाली हो तथा जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण खतरा पैदा करने वाली हो, तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है।
      - ये चेतावनियाँ सार्वभौमिक प्रकृति की होती हैं तथा बाढ़ के दौरान भी जारी की जाती हैं, जो अत्यधिक वर्षा के परिणामस्वरूप भूमि/नदी में जल की मात्रा पर निर्भर करती हैं।
    - उदाहरण के लिये, जब किसी नदी का जल 'सामान्य' स्तर से ऊपर या 'चेतावनी' और 'खतरे' के स्तर के बीच होता है, तो येलो अलर्ट जारी किया जाता है।

चक्रवात

- **चक्रवात** कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेज़ी से अंदर की ओर वायु का संचार होता है। **वायु उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करती है।**
- चक्रवातों के साथ प्राय: तेज़ तूफान और खराब मौसम भी आता है।
- चक्रवात शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है साँप की कुंडली। इसे हेनरी पेडिंगटन ने गढ़ा था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित साँपों की तरह दिखाई देते हैं।

नोट :

- **चक्रवात दो प्रकार के होते हैं:**
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात; और
  - **अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात (जिन्हें शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांश चक्रवात या ललाटीय चक्रवात अथवा तरंग चक्रवात भी कहा जाता है)।**
- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन** 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' शब्द का प्रयोग उन मौसम प्रणालियों के लिये करता है जिनमें वायु की गति '**गेल फोर्स**' (न्यूनतम 63 किमी प्रति घंटा) से अधिक होती है।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात **मकर और कर्क रेखा** के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं। वे उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल पर विकसित होने वाली बड़े पैमाने की मौसम प्रणालियाँ हैं, जहाँ वे सतही वायु परिसंचरण में संगठित हो जाती हैं।
- शीतोष्ण चक्रवात समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में आते हैं, हालाँकि वे ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं।

बिहार के भूमि सर्वेक्षण पर मिलीजुली प्रतिक्रिया

चर्चा में क्यों ?

बिहार के सबसे हालिया **भूमि सर्वेक्षण** का उद्देश्य सदियों पुराने अभिलेखों को अद्यतन करना है, जो विशेष रूप से **कमज़ोर समुदायों** के बीच स्वामित्व के दावों को प्रभावित करता है।

प्रमुख बिंदु

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
  - बिहार का अंतिम व्यापक भूमि सर्वेक्षण **ब्रिटिश काल में 1910-1911** में हुआ था, जबकि आंशिक प्रयास वर्ष 1967 और वर्ष 1980 में किये गये थे।
  - **वर्ष 2013** में शुरू किये गये वर्तमान सर्वेक्षण का लक्ष्य वर्ष 2025 तक सभी **45,000 राजस्व गाँवों** को कवर करना है।
- **दायरा और प्रक्रिया**
  - **150 मिलियन** से अधिक भू-अभिलेखों को डिजिटल बनाने के लिये भूमि सर्वेक्षणकर्त्ताओं सहित 10,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है ।
  - इसमें वंशावली चार्ट की पुष्टि करना शामिल है, जो भूमि पर पारिवारिक दावों को साबित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक भूमि के लिये सीमा माप **2025 की शुरुआत** में निर्धारित है।
- **प्रमुख चुनौतियाँ**
  - **स्वामित्व का सत्यापन:** स्पष्ट विभाजन दस्तावेज़ों के अभाव के कारण विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तथा निवासियों को परिवार के स्वामित्व वाली भूमि की पुष्टि करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि अनौपचारिक, मौखिक समझौतों के माध्यम से प्राय: स्वामित्व निर्धारित होता है।
  - **दस्तावेज़ का अनुवाद : कैथी लिपि (Kaithi Script)** में लिखे गए कई ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को अनुवाद और समझने की आवश्यकता होती है, जिससे देरी होती है। सरकार ने लिपि अनुवाद की सुविधा के लिये प्रशिक्षण शुरू किया है।
  - **प्रौद्योगिकी बाधाएँ :** ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण रिकॉर्डों को वास्तविक समय पर अद्यतन करने और पुन: प्राप्त करने में बाधा आती है, जिससे अपलोड किये गए डेटा में विसंगतता उत्पन्न होती हैं।
- **सामाजिक निहितार्थ**
  - **लिंग आधारित विवाद :** एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों का समावेश है, जिससे परिवारों के भीतर संघर्ष होता है। विवाहित महिलाओं को अपने दावों को त्यागने के लिये दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती मिली है।
  - **सामुदायिक तनाव :** भूमि संबंधी दावों के कारण कुछ मामलों में हिंसा हुई है, हाल ही में उच्च जाति समुदायों के साथ सीमा विवाद के कारण दलितों के घरों को आग लगा दी गई।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :